



षोडश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 04 अग्रहायण, 1941 (श०)
25 नवम्बर, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 71

(1) गृह विभाग	50
(2) सामान्य प्रशासन विभाग	01
(3) वाणिज्य-कर विभाग	01
(4) उद्योग विभाग	03
(5) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	11
(6) सूचना एवं प्रावधिकी विभाग	01
(7) मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	01
(8) गन्ना उद्योग विभाग	03
कुल योग --		71

भवन निर्माण कराना

*1. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत घैलाढ़ ओ० पी० का अपना भवन नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि अपना भवन नहीं रहने के कारण घैलाढ़ ओ० पी० सिंचाई विभाग के जर्जर भवन में चल रहा है जिसके कारण पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों को कार्य करने में काफी कठिनाई होती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ओ० पी० हेतु भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2. भो० आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के सड़ैली पंचायत के कुसहौँ गाँव में स्थित कब्रिस्तान जो अतिसंवेदनशील है की घेराबंदी आजतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*3. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसी भी थाना में कुर्की एवं जब्ती की गई समानों को रखने के लिये भवन का निर्माण नहीं कराया गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि कुर्की एवं जब्ती की सामग्री, गाड़ी इत्यादि को थाना के कैम्पस में रखने से जगह की भारी कमी हो रही है तथा कई समान बाहर पड़े-पड़े खराब हो जाता है जिससे कई प्रकार की परेशानी हो जाती है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के सभी थाना में कुर्की तथा जब्ती की समानों को रखने के लिये अलग जगह तथा भवन का निर्माण करारक थाना परिसर से अलग रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*4. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड में स्थित तरियानी छपरा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आदेश को निरस्त करना

*5. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सविदा पर नियोजन में एकरूपता लाने के लिये एक नीति 1 मार्गदर्शक सिद्धांत को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401, दिनांक 18 जुलाई, 2007 के द्वारा निरूपित किया गया है, जो सरकार के सभी विभागों के लिये हू-ब-हू लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प के परिशिष्ट-1 में एकरूपता की सभी सविदा कर्मियों के लिये हू-ब-हू लागू है जिसमें नियोजित सविदा कर्मों की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं है ;

(3) क्या यह बात सही है कि परिशिष्ट-1, एकरूपता के शर्तों का उल्लंघन कर जिलाधिकारी, पटना के ज्ञापक 859, दिनांक 30 जून, 2019 के द्वारा जिला के 107 कार्यपालक सहायकों का थोक स्थानान्तरण किया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिलाधिकारी, पटना के उक्त स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कन्निसतान की घेराबंदी

*6. मो0 आफ़ाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के मलहरिया पंचायत के देवदा गाँव में स्थित कन्निसतान अतिसंवेदनशील होने के बावजूद आजतक घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कन्निसतान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक छात्रावास बनाना

*7. श्री फ़ैसल रहमान--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सिकरहना अनुमंडल के ढाका प्रखंड अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है जबकि ढाका में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं होने से विद्यार्थियों को पठन-पाठन में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार ढाका में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कानूनी कार्रवाई करना

*8. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के हाजीपुर में रामाशीष चौक पर 1985 में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की आदमकद प्रतिमा जन सहयोग से लगाई गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि 5 जनवरी, 2018 को एक साजिश के तहत स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा प्रशासन की मिलीभगत से उक्त प्रतिमाओं को वहाँ से जनता के विरोध के बाद भी हटा दिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त घटनाओं की जाँच करते हुये उक्त प्रतिमाओं को रामाशीष चौक के समीप पूर्व से खाली पड़ी जमीन पर स्थापित कर जनता को सुपूर्द करने एवं योगी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

कन्निरस्तान की घेराबंदी

*9. श्री जफर आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सलखुआ प्रखंड के पुरैनी गाँव में स्थित कन्निरस्तान एवं बनमाइटारी प्रखंड के बनमाइटारी पंचायत में स्थित सरबेला कन्निरस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कन्निरस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*10. श्री राम विलाश पासवान—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित बिहार पुलिस पद हेतु विज्ञापन संख्या 01/2004, 02/2004 एवं 03/2004 में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभीतक नहीं की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विज्ञापन संख्या 01/2004, 02/2004 एवं 03/2004 के आलोक में आवेदकों के सफल होने के उपरान्त तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा Writ Petition (Civil) No.1133/2019 में पारित आदेश दिनांक-11 सितम्बर, 2019 के आलोक में भी अभीतक सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिहार पुलिस के पद पर नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर सवीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विज्ञापन के आलोक में सफल अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस के पद पर नियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 खोलना

*11. श्री राजेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि थाना का क्षेत्रफल काफी लम्बा एवं चौड़ा है। उक्त थाना के यादा ओला मेहता टोला, हरखुराय एवं मुरारपुर पंचायत सहित अन्य पंचायत थाना मुख्यालय से लगभग 20 कि0 मी0 दूरी पर है जिससे घटना की सूचना देने पर भी काफी देर से पुलिस पहुंचती है, जिससे अपराधी पकड़ा नहीं पाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के नजदीक गायघाट में नया ओ0 पी0 खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*12. श्रीमती गुलजार देवी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित भेजा थाना का घेराबंदी अभीतक नहीं हो पाया है जिस कारण थाना परिसर असुरक्षित तथा वहाँ आकारा पशुओं का जमाबड़ा दिन भर लगा रहता है जिससे पदस्थापित पुलिसकर्मियों को कार्य करने में कठिनाई होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित थाना को चहारदीवारी से घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तारी कराना

*13. श्री तार किशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कटिहार नगर थाना कांड संख्या 698/19 के अनुसार दिनांक 20 अक्टूबर, 2019 को रौशन कुमार साह की मृत्यु अपराधियों द्वारा गोली मारने के कारण हो गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना कांड के अभियुक्त राजा एवं विशाल की गिरफ्तारी हुई है, शेष नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तारी नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त मृतक के परिजन को मुआवजा देने तथा बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*14. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत रतनी फरीदपुर प्रखण्ड के ग्राम-शकूरबाद में खाता सं0 89, प्लॉट-35 एवं सेसम्बा के खाता-357, प्लॉट-2706 स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*15. श्री (मौ0) कमरूल होदा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के किशनगंज प्रखंड अन्तर्गत मौजा-सिंधिया स्थित ग्राम-कुलामनी की चहारदीवारी का निर्माण सरकार द्वारा 10 वर्ष पूर्व कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में उक्त कब्रिस्तान के चारों ओर की दिवारें टूट कर ध्वस्त हो चुकी है जिसके कारण कब्रिस्तान आवारा पशुओं का चारागाह बन गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार कुलामनी कब्रिस्तान की घेराबंदी पुनः कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वित्तीय वर्ष का ऋण दिलाना

*16. श्री शकील अहमद खॉं--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगारों को वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में ऋण नहीं मिला है यदि हाँ, तो सरकार कटिहार जिला के अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगारों को उक्त वित्तीय वर्ष का ऋण कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान कराना

*17. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मगध सुगर मिल सिधवलिया, गोपालगंज द्वारा बी० ओ०-150 गन्ना को विगत तीन वर्षों से निम्न प्रभेद की श्रेणी में रखकर गन्ना किसानों को भुगतान किया जा रहा है, जबकि गन्ना बी० ओ०-150 सामान्य प्रभेद है, यदि हाँ, तो सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुये किसानों को विगत तीन वर्षों के डेफर राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कराना

*18. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड चकाई मुख्यालय में तत्सर बुनकर प्रशिक्षण केंद्र का संचालन विगत पाँच वर्षों से बंद है जिससे प्रशिक्षणार्थियों को काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार बंद पड़े तत्सर बुनकर प्रशिक्षण केंद्र का पुनः संचालन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तारी कराना

*19. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया प्रखंड के ग्राम-सतपुरवा के हरीकेश कुमार, पिता-सत्यनारायण महतो की हत्या दिनांक 31 अगस्त, 2019 को की गयी है, जिसका केस नं० 169/19 है, जिसमें दिनांक 11 नवम्बर, 2019 तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार स्व० हरीकेश कुमार के हत्यारे की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हवाई अड्डा को चालू कराना

*20. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि काटिहार जिलान्तर्गत कुसेला प्रखंड में हवाई अड्डा है, जो विगत 20 वर्षों से बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त हवाई अड्डा को चालू कर वायुयान के परिचालन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*21. श्री असोक कुमार सिंह (224)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी थाना में पदस्थापित थानाध्यक्ष के आक्रमण्यता के कारण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेरघाटी ने तीन-तीन बार अनुशासनिक कार्रवाई हेतु पाँच माह पूर्व वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को प्रतिवेदन भेजा है, परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार शेरघाटी थानाध्यक्ष पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*22. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोगबनी शहर जो सामाजिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखती है वहाँ इन दिनों हजारों की संख्या में टेला पर विभिन्न प्रकार के सामान बेचने वाले टेला चालकों के द्वारा सड़क का अतिक्रमण होने के कारण आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार जोगबनी शहर को कबतक अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कल्याण कार्यालय खोलना

*23. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण कार्यालय, बिहार के मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, आरा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी आदि जिलों में स्थापित है जबकि बेगूसराय जिला को वर्ष 1972 से ही मुंगेर जिला के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है जिसकी दूरी बेगूसराय से 100 कि० मी० है जिस कारण बेगूसराय के पूर्व एवं कार्यरत सैनिकों को वहाँ जाकर कार्य कराने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बेगूसराय जिला में भूतपूर्व सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी करना

*24. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास थाना परिसर एवं कार्यालय भवन में बरसात के मौसम में भारी जल-जमाव होने के कारण थाना कर्मियों का रहना एवं काम करना मुश्किल हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार थाना परिसर एवं कार्यालय भवन से स्थायी रूप से जल निकासी हेतु कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० खोलना

*25. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत अमाना पंचायत के अमाना मठ पर प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है, जहां प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग आया-जाया करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि अमाना मठ से सुरसंड थाना की दूरी 10 कि०मी० एवं बाजपट्टी थाना की दूरी 8 कि०मी० है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर किसी तरह का घटना घटित हो जाने पर लम्बी दूरी के चलते पुलिस प्रशासन को आने में घंटों का समय लग जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ओ०पी० खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*26. श्री अशोक कुमार सिंह (203)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखण्ड के सावठ पंचायत के ग्राम-डहला में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं है, जबकि यह कब्रिस्तान घनी आबादी के बीच में है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-डहला में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*27. श्री संजय कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड-काराकाट (गोड़ारी) में इब्राहिमपुर ग्राम स्थित है। वहाँ कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*28. श्री राम विचार राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के देवरिया थाना भवन के लिये जमीन एक वर्ष पूर्व ही चिन्हित हो आने के बावजूद अभीतक थाना भवन का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक देवरिया थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कन्निरस्तान की घेराबंदी

*29. श्रीमती कृन्ती देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत खिजरसराय प्रखण्ड के ग्राम-मंडल में कन्निरस्तान है, जिसकी घेराबंदी आजतक नहीं की गयी है, जिससे बराबर विवाद होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कन्निरस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण करना

*30. मौ० तौसीफ आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज नगर पंचायत में बालिका उच्च विद्यालय में उर्दू बालिका काफी संख्या में दूर-दराज से आकर पठन-पाठन करते हैं लेकिन बालिका अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं होने के कारण पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बालिका उच्च विद्यालय में बालिका अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी की स्थापना

*31. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभो थाना क्षेत्र के धीरजा पुल पर विगत छः माह में दर्जनों लूट की घटनाएँ हो चुकी हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार धीरजा पुल के निकट उक्त घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस चौकी की स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कन्निरस्तान की घेराबंदी

*32. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पटेढी बेलसर प्रखंड के मनोरा पंचायत के चकमारुफ ग्राम में स्थित कन्निरस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कन्निरस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*33. श्री राजकिशोर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली प्रखंड के चकअल्हदाद पंचायत के अल्हदादपुर शेखटोला में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*34. श्री (मो०) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के मौझा प्रखंड में NH 28 के निकट पथरा ग्राम में अवस्थित कब्रिस्तान तथा जरोली प्रखंड के ग्राम-बतरदेह में अवस्थित कब्रिस्तान में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है ?

ऋण दिलाना

*35. श्री शाहनवाज आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2011-12 में मो० जमील, पिता- मो० हबीब नुरमान, मो० हाशीम, पिता-दलबीन सहित 21 आवेदकों ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना के तहत जोकीहाट प्रखंड में आवेदन दिया था, लेकिन आजतक उक्त योजना के तहत ऋण की स्वीकृति अभीतक नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आवेदकों को उक्त योजना के तहत ऋण नहीं मिलने का क्या औचित्य है ?

अग्नेयाशस्त्रों की अनुज्ञप्ति

*36. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत पुरैनी थाना के नरदह पंचायत के पूर्व मुखिया-सह-मुखिया पति अनिल यादव तथा मकदमपुर पंचायत के फूलपुर वामी पूर्व मुखिया दिलीप यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जिसके विरुद्ध क्रमशः थाना कांड संख्या 116/19 एवं 169/18 दर्ज है, यदि हाँ, तो क्या सरकार हत्या के शिकार हुये पंचायत प्रतिनिधियों के सक्षम आश्रितों को अग्नेयाशस्त्रों की अनुज्ञप्ति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकों की स्थापना

*37. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय एवं अन्य अनुमंडलीय कार्यालय आमस थाना के हमजापुर में कार्यरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित कार्यालयों से आमस धाना की दूरी लगभग 10-12 कि० मी० है, जिससे विधि व्यवस्था संभारण में काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित कार्यालयों के परिसर में विधि व्यवस्था संभारण हेतु पुलिस चौकी की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*38. श्री सुबोध राय--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालने वाली शाहकुंड पुलिस असुरक्षित" के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत 113 वर्ष पूर्व निर्मित शाहकुंड धाना भवन जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण कार्यरत पुलिसकर्मियों को रहने लायक नहीं रह गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त धाना के विभिन्न धाना प्रधारियों ने अपनी समस्याओं के संबंध में 2009 से 2018 के बीच करीब दस बार उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाने का प्रयास किया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शाहकुंड धाना में चहारदीवारी सहित आवासीय भवन एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

मुख्यालय बदलना

*39. श्री रामदेव यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिला का बेलहर प्रखंड नक्सलवाद प्रभावित है;

(2) क्या यह बात सही है कि बाँका जिले के अन्तर्गत पुलिस अनुमंडल मुख्यालय बेलहर के नाम से अधिसूचित है परन्तु उसे 36 किलोमीटर दूर कटोरिया में रखा गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित पुलिस अनुमंडल, बेलहर का मुख्यालय कटोरिया के बदले बेलहर में ही रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बकाया का भुगतान

*40. श्री शत्रुघ्न तिवारी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा स्थित चीनी मिल लगभग 15 वर्षों से ज्यादा समय से बंद है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त चीनी मिल के उपर क्षेत्र के किसानों का लगभग 10 करोड़ रुपया से अधिक बकाया है जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है जिससे किसानों के समक्ष भूखमरी की समस्या है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त चीनी मिल के बकाया का भुगतान किसानों को कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मूल्य में वृद्धि

*41. श्री सुनील कुमार—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी, प० चम्पारण, पूर्वी चम्पारण सहित अन्य जिलों में सरकार द्वारा गन्ना का मूल्य प्रति क्विंटल 310 एवं 290 रुपये निर्धारित किया गया है, जो कि ऊपज लागत से कम है, जिसके कारण गन्ना कृषकों के सामने पूछमरी का आलम है, यदि हाँ, तो सरकार गन्ना मूल्य में वृद्धि कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*42. श्री नौराद आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किरानगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक प्रखण्ड में पंचायत दिघलबैंक के बाजार के निकट अवस्थित कब्रिस्तान एवं पंचायत करवापुनी में सुखानदीची कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तानों में आवारा पशुओं एवं असमाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*43. श्री प्रह्लाद यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के पिपरिया थाना के थानेदार श्री वैभव कुमार को वर्ष 2019 अक्टूबर में गलत आचरण करने के आरोप में जिला में लाईन हाजिर किया गया था, उक्त घटनाक्रम की जाँच DGP पटना के कार्यालय आदेश को बाद हुई थी, परन्तु उक्त जाँच के फलफल के बिना ही पुनः उन्हें चानन थाना का थानेदार के पद पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*44. श्री आलोक कुमार मेहता—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—
 (1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना भाड़े की जमीन में अवस्थित है ;
 (2) क्या यह बात सही है कि थाना भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिससे आम आदमी एवं थाना के पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;
 (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार थाना को अपनी जमीन पर भवन निर्माण करकर स्थानांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*45. श्रीमती लेशी सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत के० नगर प्रखण्ड अधीन रहूआ पंचायत के चकला कब्रिस्तान की पूर्ण घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार चकला कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आपराधिक घटना रोकना

*46. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बलमी सिरिसिया सहित अन्य कई गाँवों की दूरी 25 कि०मी० से ज्यादा तथा भौगोलिक बनावट खराब होने से आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस को ससमय पहुँचाने में भारी परेशानी होती है, जबकि बगल के थानों से इस इलाके की दूरी कम है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कल्याणपुर थाना का भौगोलिक तथा दूरी के दृष्टिकोण से परिसीमन कराकर आपराधिक घटनाओं को रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*47. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "विजिलेंस अधिकारी बन रोकी कार, गहने पहनने के लिये महिला को फटकारा और ले उड़े जेवरात" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में ठग गिरोह के व्यक्ति कभी विजिलेंस अधिकारी तो कभी सी०बी०आई० अधिकारी बनकर लोगों को डरा धमका कर उनसे ठगी का काम करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसी ठग गिरोह जिसका नाम ईरानी गिरोह है, के सदस्यों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 को पटना के कुर्जी के पास श्रीमती कांता रानी की हत्या का भय दिखाकर उनके जेवरात ठग लिये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा वर्णित ठग गिरोह के विरुद्ध अभीतक कार्रवाई नहीं करने का क्या कारण है ?

वर्ग कक्ष का निर्माण

*48. श्री जीवेश कुमार—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले प्रखण्ड के जाले उच्च विद्यालय तथा सिंहवाड़ा प्रखण्ड के +2 मिथिला उच्च विद्यालय अस्थुआ में 06 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराये जाने का निदेश दिया गया था, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त दोनों जगह पर 06 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण क्वतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*49. मो० तौसीफ आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास नहीं रहने के कारण अल्पसंख्यक बालिकाओं के पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*50. श्री (मो०) कमरूल होदा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत व मौजा-सारोगोड़ा, ग्राम-सारोगोड़ा कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार सारोगोड़ा कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*51. श्री जफर आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सलखुआ प्रखंड के मुबारकपुर गाँव एवं हरेवा गाँव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना चालू कराना

*52. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में MSDP योजना विगत 5 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना को बंद होने से अल्पसंख्यक समुदाय को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त योजना को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा दिलाना

*53. श्री सत्यदेव राम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सोबान जिला अन्तर्गत दुरौदा प्रखंड के ग्राम-करसौथ, टोला रामजीछपरा निवासी विनोद राम की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी, जिसका दसौदा थाना में प्राथमिकी दिनांक 20 अक्टूबर, 2019 को दर्ज किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार अपराधियों की गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चेक पोस्ट बनाना

*54. श्री सदानंद सिंह—क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर के NH-80 से भागलपुर जीरो माईल तक प्रत्येक दिन 6-7 हजार ट्रकों का अधिभारित परिचालन होता है, जिससे प्रतिदिन राज्य सरकार को राजस्व की क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार मिर्जा चौकी एवं भागलपुर जीरो माईल पर चेक पोस्ट कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिविर स्थापित करना

*55. श्री मुद्रिका प्रसाद राय—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तैरया प्रखंड एवं पानापुर का प्रखंड उग्रवाद प्रभावित है, जिसके कारण तैरया प्रखंड मुख्यालय पर एस0 एस0 बी0 का शिविर स्थापित था जो 6 माह पूर्व सरकार द्वारा एस0 एस0 बी0 शिविर हटा दिये जाने के कारण तैरया प्रखंड तथा पानापुर प्रखंड पुनः उग्रवाद के चपेट में आ गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित प्रखंड मुख्यालयों में एस0 एस0 बी0 का शिविर स्थापित करने का विचार रखती है ?

छात्रावास का निर्माण

*56. श्री नीरज कुमार—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड के भगवती मंदिर महाविद्यालय के अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राई स्नातक तक का पठन-पाठन करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महाविद्यालय में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास निर्माण करना

*57. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटो चौधरी--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत जमुई जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं होने से वहाँ पठन-पाठन करने वाले छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थान पर छात्रों का छात्रावास निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक इकाई स्थापित करना

*58. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला में केला, आम एवं लीची इत्यादि फल की खेती बढ़े पैमाने पर होती है, परन्तु भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के लालूचक एवं श्रीरामपुर में उक्त फलों का प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई नहीं स्थापित होने के कारण किसानों को उक्त फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों में फल प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*59. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 42 में बाँध टोला में संत कबरिया कब्रिस्तान अवस्थित है जहाँ अनु० जनजाति एवं हिन्दू समाज के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व द्वारा कब्रिस्तान के जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना का दर्जा

*60. श्री फ़ैसल रहमान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका प्रखंड के पंचपकड़ी ओ० पी० कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओ० पी० नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है एवं धाना के रूप में विकसित होने की हर शर्त को पूरा करता है, परन्तु धाना का दर्जा नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ओ० पी० को धाना का दर्जा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कानूनी कार्रवाई करना

*61. श्री अशोक कुमार सिंह (224)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखंड के ग्राम-रानीकुआँ के निवासी श्री संजय विश्वकर्मा का दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 को गया जिलान्तर्गत आमस थाना के चण्डी स्थान बाजार से अपराधियों ने अपहरण कर लिया एवं उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी प्राथमिकी थाना कांड संख्या 193/19 आमस थाना में दर्ज है, यदि हाँ, तो सरकार संजय विश्वकर्मा के अपहरण एवं हत्या में शामिल अपराधियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*62. श्री (मो0) नवाज आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय एवं अल्पसंख्यक बालिका आवासीय छात्रावास बनाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के मुख्यालय आरा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय एवं अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण आजतक आवासीय विद्यालय एवं अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का निर्माण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आरा में भूमि उपलब्ध कराकर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय एवं अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रेस क्लब को चालू कराना

*63. श्री शकील अहमद खॉं--क्या मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में प्रेस क्लब के भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 21 मई, 2018 को किया गया है, लेकिन आजतक प्रेस क्लब भवन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रेस क्लब को सुचारू रूप से कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिटेल आउटलेट खोलना

*64. श्री तारकेशोर प्रसाद--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में हस्तशिल्प एवं खादी ग्राम उद्योग से जुड़ी वस्त्र एवं अन्य कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित जनोपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु रिटेल आउटलेट नहीं होने से खादी एवं हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार बापू की 150वीं जयंती के अवसर पर हस्तशिल्प एवं खादी ग्राम उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय में रिटेल आउटलेट खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना भवन का निर्माण

*65. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड में स्थित परसौनी धाना भवन विगत 7 वर्षों से जर्जर होने के कारण धाना प्रशासन को जर्जर भवन में कार्य करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त धाना भवन का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पोस्ट स्थापित करना

*66. श्री विजय कुमार खेमका—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड के विक्रमपुर पंचायत में महेन्द्रपुर बाजार है तथा यहाँ स्कूल, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन, पशु चिकित्सालय, बैंक एवं बाजार भी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार मुफस्सिल धाना रानीपतरा के अधीन है जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 6-7 कि० मी० है और उक्त बाजार सहित आसपास के चार-पाँच पंचायत में किसी अप्रिय घटना होने पर पुलिस प्रशासन को यहाँ पहुँचने में काफी विलम्ब होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में आपराधिक घटना पर रोक लगाने के लिए विक्रमपुर पंचायत के महेन्द्रपुर बाजार में पुलिस पोस्ट स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*67. श्री सत्यदेव राम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत पंचरुखी प्रखंड के ग्राम-गमहरियों बीयर फ़ैक्टरी एन० एच० 531 के पास दिनांक 28 मई, 2019 को समय 7.30 बजे संख्या में अज्ञात ट्रक पीछे से धक्का भार दिया जिससे तीन लोग (1) गणेश राम, (2) प्रितम राम, ग्राम-हरसर एवं (3) मुन्नी लाल राम, ग्राम-नवलपुर, धाना धरौरा की मृत्यु हो गई जिसका कांड संख्या 124/19 है, यदि हाँ, तो सरकार पीडित परिवारों को मुआवजा दिलाने एवं दोषी ट्रक चालक को कबतक पकड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धाना भवन का निर्माण

*68. श्री सैयद अब्दुल दौजाना—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के चैरौत प्रखंड में वर्ष 2017 में चैरौत ओ० पी० को धाना का पूर्ण दर्जा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2 वर्षों के बावजूद भी अभीतक धाना का अपना भवन जमीन के अभाव में नहीं बन पाया है, जबकि प्रचूर मात्रा में मठ का जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमीन अधिग्रहण करते हुये भवन का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस नाका खोलना

*69. श्री आलोक कुमार मेहता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थानान्तर्गत महिसारी बाबू पोखर चौक, जो NH 28 से SH 88 के बीच अवस्थित है, के पास कहीं भी पुलिस नाका नहीं है, जिससे वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार बाबू पोखर चौक महिसारी में या उसके आसपास पुलिस नाका खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्णय लागू करना

*70. डॉ० अब्दुल गफ़र--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालय में एक-एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में लिया, परन्तु एक भी जिला मुख्यालय में उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त निर्णय को लागू कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*71. श्रीमती कृन्ती देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत खिजरसराय प्रखण्ड के ग्राम नौडीहा में कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबंदी नहीं रहने के कारण बराबर विवाद होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कब तक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 25 नवम्बर, 2019 (ई०)।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,

सचिव,

बिहार विधान सभा ।